न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व अपील संख्या : **04/2014**

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोन्डेन्टस्**
1. धनराज उर्फ धन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र उदाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण
2. कमला पुत्री किशनाराम धर्मपत्नि मूलचंदजी जाति–ब्राहम्ण निवासी–रियाश्यामदास, तहसील– मेड़तासिटी, नागौर		2. नर्बदा धर्मपत्नि लक्ष्मणराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण।
		3. तहसीलदार साहब, जैतारण।
		4. सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द तहसील– जैतारण जिला–पाली।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम</u>

<u>तारीख रजू:.22/04/2014</u>

उपस्थितः–

1. श्री कल्याण कुमार व्यास, कमलेश प्रकाश जोशी अधिवक्ता, अपीलान्ट्स।
2. श्री देवाराम कटारिया, प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

<u>–:: निर्णयः–</u> **<u>दिनॉकः 13/01/2020</u>**

वकील मय प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में म्युटेशन अपील प्रार्थी/अपीलार्थी ने श्रीमान् के समक्ष ठोस आधारों की है जो अपील मजबूत बिनाय पर आधारित होने से शतप्रतिशत स्वीकार होने योग्य है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मिलावट कर अपीलान्ट के अधिकार की जायगा के संबंध में बाले बाले पोषीदा कार्यवाही की जिसकी अपीलार्थी ने जानकारी मिलते ही नकले निकलवाई तब उसे वस्तु स्थिति की जानकारी हुई इसलिए जानकारी से अंदर म्याद यह अपील पेश की जा रही है जो अंदर मियाद सुमार की जाना न्यायसंगत है। अपीलान्टस की पैतृक एवं पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की कब्जा काश्त के खेमाय ग्राम पिपलियाखुर्द तहसील जैतारण जिला–पाल राज. के राजस्व मौजा, पिपलिया खुर्द में खसरा [illegible] 206 रकबा 16–14 बीघा, 213 रकबा 4–08 बीघा, [illegible] बीघा, 236 रकबा 08–09 बीघा, 247 रकबा 04–15 बीघा कुल रकबा [illegible] 6 बिस्वा एवं अन्य खेताय खसरा नंबर 181 रकबा 62–04 बीघा स्थित है। जो उक्त खसरान के खेताय इस अपील के विवादित खेताय खसरान से सम्बोधित होंगे। दीवानी फौजदारी एवं राजस्व मामलों के विचाराधीन रहते प्रत्यर्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गैर कानूनी तरीके से तथाकथित कार्यवाहियां की और तथाकथित म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 भरा गया जिसकी नकलें दिनांक 20.03.2014 को प्राप्त की गई और इस बाबत विधिक राय मिलने पर तथाकथित म्युटेशन से व्यथीथ होकर यह अपील पेश की जा रही है। जो अंदर म्याद सुमार किया जाना न्यायसंगत है। तथाकथित कार्यवाहियों एवं तथाकथित म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 04.01.2014 आरम्भ से ही शुन्य होने से अवैध करार दिलवाने हेतु तथाकथित म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 की प्रमाणित नकलें दिनांक 20.03.2014 की प्राप्त कर एवं संपूर्ण कागजात इक्टठे कर अपने अधिवक्ता को देकर यह अपील आज तैयार करवाई गई है। अपीलार्थी संख्या 01 सरकारी नौकरी में रहते अपीलार्थी संख्या 02 ग्रामीण परिवेश की होने के कारण समय पर अपील नहीं कर पाई और उक्त मामले अलग अलग होने एवं जोधपुर एवं जैतारण के वकील मुकर्रर होने एवं कागजात को एकत्रित करने में जो समय व्यतीत हुआ है उस बाबत माफी दी जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थीगण को संपूर्ण कानूनी दांव पेच की समझ न होने से उक्त कार्यवाही में जो समय लगा है उस समय में लगी देरी की छूट प्रदान करते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर म्याद सुमार किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए एवं तथाकथित कार्यवाही आंरभ से अपीलान्टस के विरुद्व अवैध एवं शून्य होने, बेअसर होने से यह अपील अंदर मियाद सुमार की जाना न्यायसंगत है।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। अपीलार्थी ने ग़लत आधारों पर अपील पेश की है। जो काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। क्योंकि उक्त अपील के पूर्व अप्रार्थी संख्या 02 के पति लक्ष्मणराम द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 87/2012 पेश किया था। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को थी व दिनांक 06.11.2013 को जो बेचाननामा हुआ है जिसे बेचानकर्ता को कृषि भूमि बेचान करने का अधिकार था व कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेचानामा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में करवाया है जो कानूनी व वैध है तथा मौके पर कब्जा करवाया था। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को थी। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है क्योंकि उक्त बेचानसुदा खसरान की भूमि से अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है। व न ही उसे अपील पेश करने का अधिकार है। उसने गलत आधारों पर उक्त अपील पेश की है, जो काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार [illegible] दिनांक 06.11.2013 को उक्त कृषिभूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं था। तथा अपीलार्थी द्वारा गलत आधारों पर [illegible] स्थगन आदेश को अपीलीय अधिकारी ने दिनांक [illegible] को रद्द कर दिया था व उसके बाद अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपने अधिकारों का प्रयोग [illegible] हुए विधिक आधारों पर वैध बेचाननामा तैयार करवाया था। जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों ने म्युटेशन संख्या 1094/दिनांक 04.01.2014 भरा था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जो वैध है। तथा दिनांक 04.01.2014 को ही अपीलार्थी को उक्त म्युटेशन की जानकारी हो गई थी। उसके बाद काल्पनिक तारीख बताकर म्याद बाहर अपील पेश की है। जो काबिल खारीज के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। क्योंकि उक्त अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किये है कि दिनांक 20.03.2014 को जब हमनें नकले प्रापत की, तब हमें पता चला। जबकि अपीलार्थी ने माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जैतारण के न्यायालय में इसी बेचाननामें को रद्ध करने के लिए एक वाद पेश किया है, जिससे अपीलार्थी ने वाद के पद संख्या 13 में उल्लेख किया है कि उन्हें दिनांक 11.12.2013 को गांव में बेचाननामा का पता चल गया था। अर्थात अपीलार्थी ने माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैतारण में प्रस्तुत वाद में दिनांक 11.12.2013 को जानकारी होना बताता है तथा उक्त अपील को म्याद में लाने हेतु दिनांक 20.03.2014 को जानकारी होना बताता है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को उक्त बेचाननामे का ज्ञान दिनांक 11.12.2013 को ही हो गया था। जिसे जानबूझ कर गलत आधारों पर धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र म्याद क्षमा के लिए पेश किया है, जो काबिल खारिज है। अपीलार्थी की अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलान्ट एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। अपील प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 05 में कथन है कि "तथाकथित कार्यवाहियां एवं तथाकथित म्यूटेशन संख्या 1094/04.01.2014 आरम्भ से ही शून्य होनें से अवैध करार दिलवाने हेतु तथाकथित म्यूटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 की प्रमाणित नकलें दिनांक 20.03.2014 को प्राप्त कर संपूर्ण कागजात इकट्ठे कर अपने अधिवक्ता को देकर यह अपील दायर करवाई। अपीलार्थी संख्या 01 सरकारी नौकरी में होनें एवं अपीलार्थी संख्या 02 ग्रामीण परिवेश की होनें के कारण समय पर अपील नहीं कर पाई आदि–आदि, अतः माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इसी आराजी से संबंधित श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत बैचाननामा दिनांक 06.11.2013 के निरस्तीकरण के दावे की प्रमाणित प्रति के पैरा संख्या 13 के अनुसार वादीगण को दिनांक 11.12.2013 को गांव में पता चला की वादग्रस्त जमीन प्रतिवादी संख्या 01 ने बैचान कर दी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को उक्त आराजी के बैचान की जानकारी दिनांक 11.12.2013 को [illegible] परन्तु इसके आधार पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 1094/24[illegible].20[illegible] की प्रमाणित नकलें 20.03.2014 को प्राप्त होनें पर इसकी जानकारी [illegible] इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा अपील [illegible] करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब नहीं किया है तथा पर्याप्त तत्पर[illegible]बरती है, तथा ऐसे प्रकरणों में परिसीमा के संबंध में नरम रूख अख्तियार करना विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की अपेक्षा होती है, अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना विधिसंगत पाते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी अन्तर्गत धारा–05, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 भलीभांती साबित होनें एवं विलंब का युक्तियुक्त हेतुक होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलंब–काल को माफ किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 13/01/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व अपील संख्या : 04/2014
GCMS NO. : 2014/00284

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. धनराज उर्फ धन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।		1. किशनाराम उर्फ किशनलाल पुत्र उदाराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण
2. कमला पुत्री किशनाराम धर्मपत्नि मूलचंदजी जाति–ब्राहम्ण निवासी–रियाश्यामदास, तहसील–मेड़तासिटी, नागौर		2. नर्बदा धर्मपत्नि लक्ष्मणराम जाति–ब्राहम्ण निवासी–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण।
		3. तहसीलदार साहब, जैतारण।
		4. सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द तहसील– जैतारण जिला–पाली।

अपील अधीन धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या/म्यूटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 सरपंच ग्राम पंचायत, पिपलियाखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली (राज0) द्वारा जारी तथाकथित विक्रयविलेख दिनांक 06.11.2013 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 201 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2013006570 पर पंजिबद्ध कर्ता श्रीमति नर्बदा के नाम नामान्तरण के संदर्भ में

तारीख रजू:.22/04/2014

उपस्थित:. 1. श्री कल्याण कुमार व्यास, श्री विमलेश प्रकाश जोशी, अधि., अपीलान्ट।
2. श्री देवा राम कटारिया, रेस्पोन्डेट।

–:: निर्णय:– **दिनॉक: 05/01/2021**

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की पैतृक एवं पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की कब्जा काश्त के खेताय ग्राम पिपलियांखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के राजस्व मौजा पिपलिया खुर्द में खसरा संख्या 206 रकबा 16–14 बीघा. खसरा नम्बर 213 रकबा 4–08 बीघा, 235 रकबा 3–10 बीघा, 236 रकबा 8–09 बीघा, 247 रकबा 4–15 बीघा कुल खसरा 05 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा एवं अन्य खेताय खसरा संख्या 181 रकबा 62–04 बीघा स्थित है। जो उक्त खसरान के खेताय इस अपील के [illegible] संबोधित होगें। दीवानी फौजदारी एवं राजस्व मामलों के विचाराधीन र[illegible] प्रत्य[illegible]ण ने गैर कानूनी तरीके से तथाकथित कार्यवाहियां की और [illegible] 1094 दिनांक 24.01.2014 भरा गया जिसकी नकलें [illegible] को प्राप्त की गई और इस बाबत् विधिक राय मिलने पर तथाकथित म्यूटेशन से [illegible]थीथ होकर यह अपील पेश की जा रही है। तथाकथित कार्यवाहियां एवं तथाकथित म्यूटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 आरम्भ से ही शून्य होने सं अवैध करार दिलवानें हेतू तथाकथित म्यूटेशन संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 की प्रमाणित नकले दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

.03.2014 को प्राप्त कर एवं संपूर्ण कागजात इक्ट्ठे कर अपने अधिवक्ता को देकर उक्त अपील आज तैयार करवाई गई है। अपीलार्थी संख्या 01 सरकारी नौकरी में रहते अपीलार्थी संख्या 2 ग्रामीण परिवेश की होने के कारण समय पर अपील नहीं कर पाई और उक्त मामले अलग अलग जगह होनें एवं जोधपुर एवं जैतारण के वकील मुकर्रर होनें एवं कागजात को एकत्रित करनें में जो समय व्यतीत हुआ है उस बबात् माफी दी जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी को संपूर्ण कानूनी दांव पेज की समझ न होनें से उक्त कार्यवाही में जो समय लगा है उस समय में लगी देरी की छूट प्रदान करते हुए अपीलांटस की अपील अंदर म्याद सुमार किया जाना न्यायसंगत है। इस बाबत् मियाद अधिनियम की धारा 05 की अर्जी साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे एवं तथाकथित कार्यवाही आरंभ से अपीलांटस के विरूद्ध अवैध एवं शून्य होनें से बेअसर होनें से यह अपील अंदर म्याद सुमार की जाना न्यायसंगत है। अपीलांटश्स के उक्त विवादित खसरान के खेताय दादा उदारामजी व प्रतापजी ब्राह्मण के समय से संयुक्त कब्जा काश्त के रहे है। स्व. दादा श्री उदारामजी व प्रतापजी के फोत के पश्चात् उक्त खेताय खसरा संख्या 206, 213, 235, 236, 247 कुल रकबा 37-16 बीघा पर अपीलांट के पिताजी किशनारामजी एवं चाचाजी चन्द्रारामजी की संयुक्त खातेदारी में 1/2-1/2 हक हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई है। इसी कदर उक्त विवादित खेताय खसरा संख्या 181 में भी अपीलांटश्स के पिताजी किशनारामजी का 1/4 हिस्सा व चाचाजी चन्द्रारामजी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी के दर्ज हुआ है। अपीलांट के पिताजी किशनारामजी व चाचा चन्द्रारामजी संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ रहते थे एवं विवादित खेताय मे संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते थे। अपीलांटश्स के चाचा चन्द्रारामजी नाओलाद फोत हो गये थे उन्होने किसी को भी गोद नहीं लिया था। इस कारण चाचाजी चन्द्रारामजी की उक्त विवादित खेताय के खसरान में विधिक उत्तराधिकारी, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उनके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम एवं अपीलांट का विधिक वारिसान के कारण हक हिस्सा निहित रहता है। अपीलांट के चाचा चन्द्रारामजी नाओलाद फौत के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नर्बदादेवी के पति श्री लक्ष्मणराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहयोग से एक कुटरचित गोदनामा बनाकर स्व. चाचा श्री चन्द्रारामजी की उक्त विवादित खेताय की हक हिस्सा 1/2 व 1/4 हिस्से का अपने नाम फर्जी म्युटेशन संख्या क्रमश 135, 136 व 137 दिनांक 28 एवं 29 अक्टूबर 1967 को भरवा लिये थे। जिन फर्जी म्युटेशन के संदर्भ में अपीलांट को ध्यान होने पर अपीलांट ने म्युटेशन अपील एवं कुटरचित गोदनामा की फोजदारी कार्यवाही अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध की, जो विचाराधीन है। अपीलांट के पिता यानि रेस्पोडेन्स संख्या 1 किशनाराम ने भी अपने चेहेते पुत्र/वारिस लक्ष्मणराम के बहकावे में आकर उक्त विवादित खेताय का पुनः एक फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर और उक्त विवादित खेताय म्युटेशन संख्या 293 दिनांक 6-11-1980 भरवा लिया था जिस फर्जी बक्शीशनामा को लेकर भी अपीलांट ने सम्बन्धित न्यायालय में म्युटेशन अपील एवं कुटरचित के विरूद्ध फर्जी बक्शीशनामा के संदर्भ में फोजदारी कार्यवाहियां की है। जो आज भी लम्बित है। अपीलांट के उक्त विवादित पैतृक खेताय मौजा ग्राम पिपलि खुर्द के खेताय खसरा नंबर 206, 213, 235, 236, 247 कुल रकबा 37-16 बीघा में वर्तमान खातेदारी के अनुसार 1/4 हिस्सा एवं खसरा नंबर 181 रकबा 62.04 में 1/8 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम का इन्द्राज खातेदारी में है। क्योकि फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

गोमत्र के म्युटेशन एवं फर्जी बक्शीशनामा के तत्पश्चात उक्त विवादित खेताय में हिस्सा 1/4 एवं 1/8 ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम के नाम खातेदारी में शेष रही है। उक्त विवादित खेताय पक्षकारान के पैतृक कब्जा काश्त के खेताय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम अपीलांटस के पिता है एवं अपीलाट्श्स, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जायन्दा संतान होने से विधिक वारिसान भी है। इसलिए उक्त विवादित खेताय के खसरान के 1/4 व 1/8 हक हिस्सा मे भी अपीलांट का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत् हक हिस्सा निहित है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने चेहेते पुत्र वारिस लक्ष्मणराम की धर्मपत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमति नर्बदा देवी को दिनांक 6-11-2013 को जो बेचान कर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 201 पृष्ठ संख्या 130 क्रम संख्या 2013006570 पर पंजिबद्ध करवा लिया है जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर उक्त विवादित खेताय के 1/4 व 1/8 हक हिस्से का म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24-1-2014 का नामान्तरणकरण कर दिया है। उक्त विवादित खेताय के बेचान दिनांक 6/11/2013 के विक्रय विलेख निरस्त कराने बावत् अपीलांटस ने अलग से एक वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया है। जो आज भी विचाराधीन है। अपीलांट्श्स, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम की जायंदा संतान एवं विधिक वारीसान होने से, उक्त पैतृक विवादित खेताय में हक हिस्सा प्राप्त करने के लिए विधिक उत्तराधिकारी है। क्योंकि उक्त विवादित खेताय पर पैतृक रूप से संयुक्त कब्जा काश्त के खेताय रहे है। इसलिए उक्त विवादित खेताय में अपीलांटस का हक हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक विवादित खेताय के 1/4 व 1/8 हक हिस्सा का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमति नर्बदादेवी को दिनांक 6-11-2013 के विक्रय विलेख पर जो म्युटेशन संख्या 1094/94 दिनांक 24-1-2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर नामान्तरणकरण किया है। नामान्तरणकरण अवैध व शून्य है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांटस को पैतृक संपदा से वंचित कर गंभीर रूप से आहत किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमति नर्बदादेवी के पक्ष में पैतृक खेताय के लिए किये गये बेचान दिनांक 6-11-2013 व म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24-1-2014 के संदर्भ में अपीलांट द्वारा अलग से प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही की जावेगी क्योंकि अपीलांट की पैतृक विवादित खेताय का बेचान व म्युटेशन बिना विधिक वारीसान की अनुमति के किया जाना एवं सहयोग किया जाना एवं कुटरचना की जाना एवं अपीलांट को पैतृक खेताय से वंचित कर आहत किया जाना अपने आप में अपराध है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त विवादित खेताय के बेचान एवं म्युटेशन की समस्त राजस्व कार्यवाहियां अवैध एवं शुन्य है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट व राजस्व अधिकारियों को विवादित पैतृक खेताय का एवं विधिक वारिसान का ज्ञान होते हुवे भी उन्होने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनदेखी कर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त पैतृक खेताय का म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24/1/2014 की नामान्तरणकरण कार्यवाही कर अनदेखी की है। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों द्वारा की गयी उक्त नामान्तरणकरण अवैध एवं मनमाना एवं विधिविरुद्ध होने के कारण किया गया उक्त नामान्तरणकरण अवैध एवं शुन्य है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार उक्त विवादित कृषि खेताय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम के प्रत्येक पुत्र पुत्रियों का विधिक वारिसान की हैसियत से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बराबर बराबर हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में उक्त पैतृक विवादित खेताय के बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible]नांक 6/11/2013 का राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया नामान्तरणकरण संख्या 1094 दिनांक 24/1/2014 अवैध एवं शुन्य है जो निरस्त होने योग्य है। तत्कालीन पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारियों तहसीलदार, व सरपंच ग्राम पंचायत पिपलियांखुर्द द्वारा विधि की अवहेलना कर सरकारी रेकर्ड की बिना जांच किये अनदेखी कर यह म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24/1/2014 की नामान्तरणकरण कार्यवाही की है एवं अपीलांट्स को इस बाबत् सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलांट्स अधिनस्थ न्यायालय यानि पटवारी सरपंच ग्राम पंचायत व तहसीलदार जैतारण द्वारा जो उक्त पैतृक विवादित खेताय के म्युटेशन बाबत् आदेश किया है। उसके तत्पश्चात् म्युटेशन संख्या 1094 दिनांक 24/1/2014 को भरा गया है। उसको अपीलांटस निरस्त करवाकर अपना हक हिस्सा की खातेदारी जरिये नामान्तरणकरण करवाने का अधिकारी है। अतः यह म्युटेशन अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जावे और नामान्तरणकरण 1094 संख्या/म्युटेशन संख्या दिनांक 24/1/2014 सरपंच ग्राम पंचायत, पिपलियाखुर्द तहसील जेतारण जिला पाली (राजस्थान) द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नर्बदा देवी के नाम [illegible]मान्तरणकरण भरा गया है वह नामान्तरणकरण संख्या 1094 दिनांक 24/1/2014 अपास्त किया जावे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम ब्राह्मण के नाम के खातेदारी खेताय में अपीलांट्स के हक हिस्सा का भी नामान्तरणकरण कर खातेदारी में नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस् द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का पूर्व में स्वीकार किया गया है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अवलंब लिया। अपीलांट द्वारा ग्राम- पिपलियां खुर्द की वादग्रस्त आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत पिपलियां खुर्द द्वारा स्वीकृत नामांतरण [illegible]ख्या 10974 दिनांक 24.01.2014 को विधि विरुद्ध एवं प्रभावशुन्य मानते हुए अपास्त किए जानें का अनुतोष चाहा है। हमनें प्रश्नगत नामांतरण पंजिका का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पिपलिया खुर्द की वादग्रस्त आराजी में से खातेदार किसनाराम द्वारा अपना हिस्सा जरिए बैचान रजिस्ट्री दिनांक 6.11.2013 को पु. सं. 1, जि. सं. 201 में पृ. सं. 130, क्र. संख्या 2013006570 पर पंजीबद्ध होनें से क्रेतागण के नाम ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द की बैठक दिनांक 24.01.2014 को प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा नामाँतरण स्वीकृत किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत विक्रय के आधार पर क्रेता के पक्ष में ग्राम पंचायत की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत नामाँतरण स्वीकृत किया है, जिसमें हक विधिक रूप से सारवान या प्रक्रियागत त्रुटि नहीं [illegible] कथन कि वादग्रस्त आराजी उसकी पैतृक-पुश्तैनी है, जिससे हिन्दू उ[illegible] अधिनियम 1956 के तहत उसका भी हक-हिस्से निहित है, परंतु उसकी [illegible] के बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 जो कि अपीलांट के पिता द्वार[illegible] बैचाननामा विधि-विरूद्ध एवं प्रभाव शुन्य है, अतः उसके आधार पर भरा गय[illegible] नामांतरण भी विधि-विरूद्ध है, के सम्बन्ध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अव्वल तो ग्राम पंचायत को किसी पंजीकृत बैचाननामा के विधिक परीक्षण का न तो कोई क्षेत्राधिकार होता है और न ही ऐसा अपेक्षित होता है, उसे ऐसे बैचाननाम को तब तक वैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

माना होता है, जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा इन्हें शून्य घोषित नहीं कर दिये जाते हैं, दोयम यदी अपीलांट को यह लगता हैं कि कथित प्रश्नगत बैचाननामा विधि-विरूद्ध है तो सर्वप्रथम उसे सक्षम सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाना होगा। अपीलांट पैतृक आराजी में अपने हक-हिस्से तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें के लिए स्वतंत्र है। ग्राम-पंचायत के पास विधिक रूप से केवल इतना ही विकल्प होता है कि वह विदित प्रक्रिया अर्थात् ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा किसी पंजीकृत बैचाननामा के आधार पर अगर ऐसा विक्रेता खातेदार है तो उसके स्थान पर विक्रित हक-हिस्से तक क्रेता के नाम नामांतरण विहित समयावधि के भीतर स्वीकृत करें, यदि ऐसे बैचान विलेख को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में भी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा ही किया गया है। अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द द्वारा अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1094 दिनांक 24.01.2014 स्वीकृत करके कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, अतः अपीलांट की अपील सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत और उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट अंतगर्त धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरण संख्या 1094 दिनाँक 24.01.2014 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द, तहसील जैतारण, जिला- पाली तथा कथित विक्रय विलेख दिनाँक 06.11.2013 के पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या 201 में पृ. सं. 130, क्र. संख्या 2013006570 पर पंजीबद्ध कर्त्ता व श्रीमती नर्मदा के नाम नामांतरण भली भांती साबित नहीं होनें एवं विधिक रूप से सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/01/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested